

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक

(हरियाणा राज्य अधिनियम संख्या २५/१६७५ के अन्तर्गत स्थापित) ("ए+" श्रेणी, रा. मू. प्र. प. प्रत्यायित)

विधि निष्णात (व्यवसायिक कानून)

प्रमाणित किया जाता है कि हिमांशु हान्डा, सुपुत्र/सुपुत्री श्री रिव हान्डा, विद्यार्थी विधि एवं अनुसंधान संस्थान, फरीदाबाद को इस विश्वविद्यालय द्वारा सितम्बर, 2020 में आयोजित तत्सम्बन्धी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त विधि निष्णात (व्यवसायिक कानून) की उपाधि प्रदान की जाती है।

Maharshi Dayanand University, Rohtak

(Established under Haryana Act No. 25 of 1975) ("A+" Grade, NAAC Accredited)

> MASTER OF LAW (BUSINESS LAW)

This is to certify that HIMANSHU HANDA, son/daughter of Sh. RAVI HANDA, a student of INSTITUTE OF LAW & RESEARCH, FARIDABAD is hereby awarded the degree of MASTER OF LAW (BUSINESS LAW) on his/her having passed the examination for the said degree held in SEPTEMBER, 2020. He/She is placed in FIRST DIVISION

Behindler

परीक्षा-नियंत्रक

Controller of Examination

el an

Registrar

रोहतक, तिथि मार्च ३१, २०२१

विश्वविद्यालय के मुद्रांकन द्वारा प्रमाणित Given under the seal of the University



कुलपति

Vice- Chancellor

Saturde Howen And

कुलाधिपति Chancello